

बिहार सरकार

वित्त विभाग

—आदेश—

पत्रांक—11/निगरानी—24/2021/वि० पटना/दिनांक—.....

श्री रवि भूषण पाण्डेय, सहायक कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज के विरुद्ध श्री बलिराम पाण्डेय एवं अन्य के द्वारा समर्पित परिवाद—पत्र में पिता का नाम बदलकर, गलत विकलांगता प्रमाण—पत्र बनवाकर एवं बलथर थाना कांड संख्या—51/15 एवं 59/15 का आरोपी होने के बावजूद अच्छा चरित्र प्रमाण—पत्र के आधार पर नौकरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाया गया।

2) परिवाद—पत्र में परिवादी का पता एवं संपर्क सूत्र अंकित नहीं रहने के कारण श्री रवि भूषण पाण्डेय के विरुद्ध परिवाद—पत्र में प्रतिवेदित उक्त आरोपों की विस्तृत जाँच जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से कराये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त हेतु वित्त विभागीय पत्रांक—587, दिनांक—05.06.2025 द्वारा श्री बलिराम पाण्डेय एवं अन्य से प्राप्त परिवाद—पत्र को जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को भेजते हुए मंतव्य सहित जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी।

3) जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर स्मार पत्रांक—7998, दिनांक—16.07.2025 एवं अर्द्धसरकारी पत्र संख्या—9877, दिनांक—12.09.2025 के द्वारा वांछित प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो जिला पदाधिकारी के पत्रांक—928, दिनांक—13.10.2025 द्वारा परिवाद—पत्र में अंकित आरोपों की जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया था। परन्तु उक्त जाँच प्रतिवेदन अपूर्ण एवं जिला पदाधिकारी का मंतव्य अंकित नहीं रहने के कारण जिला पदाधिकारी से मंतव्य सहित प्रतिवेदन की माँग हेतु विभागीय पत्रांक—11252, दिनांक—31.10.2025 के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जो जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक—1082, दिनांक—05.12.2025 के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। उक्त जाँच प्रतिवेदन में परिवाद—पत्र में लगाये गए कई आरोपों के संबंध में स्पष्ट मंतव्य प्रतिवेदित नहीं रहने के कारण जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से पुनः परिवाद पत्र की जाँच कर मंतव्य सहित प्रतिवेदन की माँग विभागीय पत्रांक—913 दिनांक—28.01.2026, पत्रांक—730 दिनांक—24.03.2026, पत्रांक—5037 दिनांक—27.05.2026 एवं पत्रांक—1812, दिनांक—21.07.2026 द्वारा की गई। जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक—595, दिनांक—30.06.2026 द्वारा अनुशंसा सहित उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में श्री रवि भूषण पाण्डेय के विरुद्ध परिवाद—पत्र में लगाये गये किसी भी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

4) श्री पाण्डेय के विरुद्ध बलथर थाना कांड संख्या—51/15 में CJM, Bettiah द्वारा case disposed (uncontested) settle in Lok Adalat के साथ अंतिम निर्णय लिया गया एवं बलथर थाना कांड संख्या—59/15 में A.D.J-8, Bettiah द्वारा श्री पाण्डेय को दोष मुक्त किये जाने का न्यायादेश पारित किया गया।

5) जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त अनुशंसा सहित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत श्री रविभूषण पाण्डेय के विरुद्ध श्री बलिराम पाण्डेय एवं अन्य के द्वारा समर्पित परिवाद—पत्र को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।

6) अतः श्री रवि भूषण पाण्डेय, सहायक कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज को इनके विरुद्ध समर्पित परिवाद—पत्र में लगाये गये आरोपों से मुक्त किया जाता है।

7) प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रवि रंजन शास्त्री),

सरकार के अवर सचिव।



ज्ञापांक-11/निगरानी-24/2021/वि०, पटना/दिनांक-.....

प्रतिलिपि:—माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव (निगरानी शाखा) के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/अवर सचिव, प्रशाखा-01 (राजपत्रित स्थापना), वित्त विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रशाखा-06 (जन शिकायत), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-11/निगरानी-24/2021...../वि०, पटना/दिनांक-.....

प्रतिलिपि:— सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को “CPGRAMS” (निगरानी) पोर्टल/मुख्यमंत्री सचिवालय के ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड (आवेदन बार कोड संख्या-2025017212) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/9/26
25/9/26

सरकार के अवर सचिव।